SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal) : Hon. Chairman, Sir, this is a fit case to be referred to the Privileges Committee. When a Member is assaulted and if he makes a complaint, let the Privileges Committee consider the matter. I request you to kindly refer this matter to the Privileges Committee for its consideration. ...*(Interrupticns)*...

MR. CHAIRMAN : I refer this matter to the Privileges Committee. ...*(Interruptions)*... That is all right. We have already done it. Now, the next Special Mention.

Strike call by workers of Newspaper Industry for Revision of Wages

श्री बलबीर के. पुंज (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह विशेष उल्लेख यहां प्रस्तुत करने अवसर प्रदान किया। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, आज आपने देखा होगा कि सवेरे हम लोगों के घर पर अखबार नहीं आए – केवल एक या दो अखबार आए क्योंकि कल पूरे देश में समाचार पत्रों के कर्मचारी, पत्रकार और गैर पत्रकार हड़ताल पर थे। सभापति जी, समाज के इस वर्ग को हड़ताल पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी ? यह जो हड़ताल है, इसके पीछे एक लम्बा इतिहास है। सरकार ने 1994 में एक वेज बोर्ड की स्थापना की थी और वेज बोर्ड की रिपोर्ट दो वर्ष के भीतर आनी थी। अखबारों के मालिकों ने उसमें अड़ंगे लगाए, अदालतों का सहारा लिया और आज पांच वर्ष हो गये हैं, अभी तक वेज बोर्ड की अंतिम रिपोर्ट नहीं आयी है। सभापति महोदय, यह जो वेज बोर्ड का इंस्टीट्यूशन है, इसकी स्थापना कोई क्षणिक निर्णय नहीं था। यह सरकार का और इस देश का बहुत सोचा-समझा निर्णय था। 1952 में पहला प्रेस कमीशन बैठा है उस प्रेस कमीशन ने अनुशंसा की कि पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन को तय करने का अधिकार वेज बोर्ड की व्यवस्था से होना चाहिए। उसके बाद यह भी कहा गया कि हर पांच वर्ष के बाद जो वेतनमान हैं, वे नये सिरे से तय होने चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिदले 45 साल में केवल चार वेज बोर्ड बैठे हैं जब कि जो अनुशंसा थी, उसके अनुसार 45 साल में 9 वेज बोर्ड बैठने चाहिए थे। महोदय, कई लोग यह भी कहते हैं कि पत्रकारों के लिए, गैर पत्रकारों के लिए अलग से वेज बोर्ड की व्यवस्था क्यों हो ? बाज़ारी शक्तियां हैं, भूमंडलीकरण का समय है, बाज़ारीकरण का समय है तो ऐसे में पत्रकारों का जो वेतन है, वह वेज बोर्ड के माध्यम से क्यों हो, वह क्यों नहीं बाज़ारी शाक्तियों पर छोड़ दिया जाए ? यह एक कुत्सित मानसिकता का परिचायक है क्योंकि हम लोग यह मानकर चलते हैं कि समाचार पत्र जो हैं वे एक टूथपेस्ट या साबुन की तरह प्रोडक्ट है और इस तरह की मानसिकता विकसित

हो रही है जिसमें समाचार पत्रों को एक प्रोडक्ट या ब्रांड के रूप में प्रोजैक्ट किया जाता है, उनको बौद्धिक सम्पदा के रूप में नहीं देखा जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो प्रजातंत्र का भव्य महल है, वह चार खम्भों पर टिका हुआ है । उसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और एक स्वतंत्र प्रैस की बड़ी भूमिका होती है। जो प्रैस की स्वतंत्रता है,वह केवल मालिकों की स्वतंत्रता नहीं हो सकती, उसमें पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारी – जो समाचार पत्रों को निकालते हैं, उनकी जीविका का भी प्रश्न है और अगर उनका वेतन समुचित नहीं होगा तो स्वतंत्र पत्रकारिता जीवित नहीं रह सकती । मैं जानता हूं कि इस सदन में प्रजातंत्र के प्रति स्वाभाविक चिंता होगी और अगर प्रैस कमज़ोर हो गयी तो प्रजातंत्र भी मज़बूत नहीं रह पाएगा । सभापति जी, इसके साथ एक चिंता का विषय और है कि पिछला जो वेज बोर्ड बैठा था, वह बछावत वेज बोर्ड बैठा था । बछावत वेज बोर्ड की जो रिकॅमेंडेशंस थीं, वे पूरे देश में 1715 प्रकाशन संस्थानों पर लागू होनी थीं किन्तु जो पालन हुआ है वह केवल 643 में ही हुआ है। इस संसद में बनाए हुए कानून, इस सरकार के बनाए हुए कानून पर देश में पालन नहीं होता है और यह सरकार उसके बारे में कुछ नहीं करती है। उसका कारण है कि इस कानून का पालन 1955 का जो वर्किंक जर्नलिस्ट ऐक्ट था, उसके अधीन किया जाता है। कानून में यह प्रावधान था कि जो समाचार संस्थान इस कानून का पालन नहीं करेंगे, उनको दंडित किया जाएगा और उस दंड का रूप था – 200 रुपये प्रतिदिन जुर्माना। आज यह बात हास्यास्पद लगती है क्योंकि उस जमाने में चार आने सेर दूध मिलता था और आज 15 रुपये लीटर पानी मिलता है इसलिए 200 रुपये जुर्माना देना आसान है और वेज बोर्ड की जो अनुशंसाएं थीं, उनको लागू करना महंगा है । तो कोई आश्चर्य नहीं कि 1715 संस्थानों में से, अभी तक केवल 643 में ही इन अनुशंसाओं को लागू किया गया है। इसके साथ एक गंभीर समस्या और उत्पन्न होती है।

जो लोग समाचार-पत्रों को केवल एक ब्रांड के रूप में देखते हैं, लाभ कमाने वाली संस्था के रूप में देखते हैं, एक बौद्धिक सम्पदा के रूप में नहीं देखते, वे लोग आर्टिफीशियली अखबारों की कीमतें कम कर रहे हैं । वह अखबार जिसमें न्यूज़प्रिंट की कीमत ही दस रुपए से ज्यादा लगती है, वह उपभोक्ता को डेढ़ रुपए का बाज़ार में उपलब्ध किया जाता है । यह बात अपने आप में हमकों बहुत सरल, सुन्दर और अच्छी लग सकती क्योंकि अखबार सस्ता मिलता है पर प्रश्न यह है कि जो साढे आठ और नौ रुपए प्रति अखबार पर घाटा होता है, वह कहां से पूरा किया जाता है ? वह घाटा विज्ञापनों के माध्यम से पूरा किया जाता है और समाचार-पत्रों की कीमत पाठक से नहीं वसूली जाती हैं, वह विज्ञापनदाताओं से वसूली जाती है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस बाज़ारीकरण के युग में, इस ग्लोबलाइज़ेशन के युग में जो विज्ञापनदाता हैं, वे अधिकतर मल्टी नेशनल कंपनियां हैं। यदि अखबारों की कीमत वे

चुकाएंगी तो अखबारों में जो प्रकाशित सामग्री होगी, वह देश की जनता की भावनाओं की परिचायक नहीं होगी। वह उन हितों की साधना करेगी जो उन समाचार-पत्रों को प्रकाशित करने में उनको फाइनेंस करते हैं। इस स्थिति के ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि कम से कम कानूनी रूप से यह ज़रूरी किया जाना चाहिए कि किसी भी पत्र-पत्रिका की कीमत उसके न्यूज़प्रिंट के बराबर तो होनी चाहिए। न्यूज़प्रिंट की कीमत तो कम से कम पाठक से वसूली जानी चाहिए और तभी जो स्वतंत्रता है प्रेस की, उसका कोई अर्थ रहेगा नहीं तो हम देखेंगे कि जो मझौले, छोटे समाचार-पत्र हैं, वे या तो बंद हो जाएंगे या उनका काम सफर करेगा और देश के अदंर केवल दो या तीन बड़े समाचार-पत्र जिनको अधिकतर विज्ञापन मिलते हैं, वही बचेंगे और बाकी जो समाचार-पत्र हैं, वे बंद हो जाएंगे।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करूंगा कि हम सब लोग अपने दलगत मतभेंदो को भूला कर इस मामले में विचार करें और देखें कि जो वेज बोर्ड की रिकमंडेशन्स हैं, वे जल्दी आएं और उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। धन्यवाद।

SHRI KULDIP NAYYAR (Nominated): Mr. Chairman, Sir, this is a very important issue. Let us have some time to discuss about the Press. Not now, Sir, but at some other time.

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): I agree.

MR. CHAIRMAN: Let us have the Special Mention now.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : आदरणीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय आंदोलन में हमारी भारतीय प्रेस की बड़ी सराहनीय भूमिका रही है। 1952 में न्यायमूर्ति राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में पहला प्रेस आयोग बना था जिसने अपनी रिपोर्ट में अखबार उद्योग में श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा शर्तें तय करने के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया था। वह कानून अंततः 1955 में अस्तित्व में आया जिसके अनुच्छेद 8 के तहत केन्द्र सरकार को अखबार उद्योग में वेतन की दरें तय करने और उसमें समय-समय पर सुधार करने का अधिकार दिया गया। ठीक उसी कानून में अनुच्छेद 9 के तहत श्रमजीवी पत्रकारों एवं अन्य अखबारकर्मियों के वेतन तय करने के वास्ते बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव भी था।

मान्यवर, इसके बाद अनेक वेज बोर्ड बने लेकिन पिछले नतीजों से हमें यह आभास मिलता है कि यद्यपि अनेक वेज बोर्ड बने लेकिन उनका पूर्णत : पालन नहीं हो पाया। मुझे याद है। 1989 में भी इस प्रकार से वेज बोर्ड की जो सिफारिशें थीं, उनका परिपालन करने के संबंध में प्रायः सभी राजनीति दलों ने समर्थन किया था। हम देखते हैं कि जो अखबार

प्रतिष्ठान हैं, हमारे देश में लगभग 4000 से अधिक अखबरी इकाइयां हैं लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार, खुद सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि दो-तिहाई अखबार ही हैं जो वेज बोर्ड की रिकमंडेशन्स का आंशिक रूप से पालन कर पाए। इसलिए हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि वे अखबारी प्रतिष्ठान उन सिफारिशों का पालन नहीं कर पाए हैं ? यदि कानून में किसी न किसी प्रकार से किसी अनुच्छेद में कमी रही है तो हमें उस कमी को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए।

अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने बताया कि जो दंड का प्रावधान किया गया है वह दो सौ रुपए किया गया है, अनुच्छेद-12 मे वह दो हजार है। लेकिन अनुच्छेद-12 में भी और ज्यादा दंड के प्रावधान की आवश्यकता है क्योंकि अखबार प्रतिष्ठान या अखबार मालिक जब यह देखता है कि अनुच्छेद-12 में बहुत ज्यादा दंड का प्रावधान नहीं है तो वह इन सब सेवा-शर्तो को नजर-अंदाज करता है। जहां तक अखबार प्रतिष्ठानों के वित्तीय प्रदर्शन का प्रश्न हे, उनकी वित्तीय हालत में लगातार सुधार हुआ है। 48.37 प्रतिशत से बढ़कर उनकी वित्तीय हालत 102.14हुई है। लेकिन हमारे पत्रकार बंधुओं को जो वेतन दिया जाना चाहिए उनके खर्च में लगातार आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि कमी आई है। अखबार प्रतिष्ठानों के राजस्व में तो वृद्धि हो रही है लेकिन जो पत्रकार रात-दिन काम करते हैं, उनको जो वेतन दिया जाता है, उनके प्रतिशत में लगातार कमी आ रही है। पहले आंकड़ों के अनुसार राजस्व के अनुपालन में जो वेतन दिया जाना था वह 15 प्रतिशत बताया गया, फिर घटकर 13 प्रतिशत हो गया। कुछ अखबार प्रतिष्ठानों में तो यह हालत है कि यह घटकर वेज बोर्ड की जो सिफारिशें हैं उनका पालन पूर्णतया क्यों नहीं हुआ है ? आखिर वे कौन सी विसंगतियां हैं जिनकी वजह से उनका पालन नहीं हो पा रहा है ? उनको दूर करने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में मणिसाना सिंह वेज बोर्ड 1995 में बना था औ अपनी सिफारिश 1996 में दे दी। 27 मार्च, 1999 तक अधिकतर कर्मचारी संगठनों ने अपना पक्ष भी प्रस्तुत किया है। लेकिन आईएनएस एक नए तर्क के साथ कुछ बातें सामने लेकर आया। जो टेंटेटिव प्रस्ताव हैं, असत्य हैं और गलत हैं। आईएनएस अभी तक वेज बोर्ड की पूरी कार्यवाही को किसी न किसी रूप में निरर्थक करने की कोशिश करता रहता है। उसका एक मात्र उद्देश्य यह है कि पत्रकार बंधु यूनियन की सदस्यता छोड़कर प्रबंधन के साथ आ जाएं और हताश हो जाएं। इसलिए इस बारे में सदन को एक मत होकर एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि आईएनएस की जो कार्यप्रणाली है, वह गलत है, हमारे श्रमजीवी पत्रकार बंधुओं के बीच में निराश डालने की प्रवृत्ति है, उसको किसी न किसी रूप में हतोत्साहित करना चाहिए। जो हमारे कर्मचारी बन्धु हैं और जो अखबार

प्रबंधन में काम करने वाले हमारे पत्रकार भाई हैं उनके वेतन में वृद्धि के लिए जो वेज बोर्ड ने सिफारिश की हैं उसके परिपालन को हमें सुनिश्चित करना चाहिए। अगर आईएनएस को खुली छूट दी जाए तो उनकी यह स्थिति है कि श्रमजीवी पत्रकारों की तुलना क्लर्क से बद्तर करना बेहतर समझते हैं। इसलिए आईएनएस की सिफारिशों को नजर-अंदाज करते हुए वेज बोर्ड की सिफारिशों को प्राथमिकता देते हुए एक समय सीमा के अंदर उसका परिपालन किया जाना बहुत आवश्यक है। ऐसा मेरा आपके माध्यम से, इस सरकार से अनुरोध है।

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, मैं खुद एक श्रम जीवी पत्रकार हूं। इस नाते जो कुछ बोलूंगा अपने अनुभव के आधार पर बोलूंगा। इस देश में अगर सबसे कम वेतन किसी कामगार को मिलता है तो वह पत्रकार है, किसी वर्कर को मिलता हैं तो वह पत्रकार है। दुनिया में अगर सबसे कम वेतन कहीं पत्रकारों को मिलता है तो वे हिन्दुस्तान के पत्रकार हैं। विशेषकर जो भाषाई पत्रकार हैं, जो लेंग्वेज न्यूज पेपर के जनरलिस्ट हैं,ख् उनका जिस तरह से शोषण होता है, उनको जिस तरह का वेतन दिया जाता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पता नहीं उनसे कैसी अपेक्षा रखी जाती है। इस देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, प्राइस इंडेक्स चेंज होता चला जा रहा है। लेकिन पत्रकारों का वेतन लगातार वहीं का वहीं है। अगर थोड़ी बहुत बढ़ोत्तरी होती है तो बिल्कुल इस तरह से जैसे कि भीख दी जा रही हो। 1957 से लेकर अब तक कितने वेज बोर्ड बने हैं ? अब तक पांच वेज बोर्ड बन चुके हैं और सबकी रेकमेंडेशन्स भी आई हैं लेकिन आज तक किसी भी वेज बोर्ड की सिफारिशों को पूर्णतया लागू नहीं किया गया है। चाहे वह देवाकिया बोर्ड हो, न्यायमूर्ति शिंदे बोर्ड या पालेकर बोर्ड हो, जो बाद में न्यायाधिकरण बन गया था या बछावत बोर्ड हो और अभी मणिसाना आयोग की बात चल रही है। मणिसाना आयोग ने टेंटेटिव प्रपोजल दिया है। उस टेंटेटिव प्रपोजल के खिलाफ आई0 एन0 एस0 कोर्ट में चला गया है। आई0 एन0 एस0 केस में कौन-कौन से लोग हैं ? उसके बहुत सारे लोग इस सदन में बैठे हैं। इस सदन में आते भी हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सदन में अखबारों के जो मालिक बैठे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मणिसाना आयोग की जो रिपोर्टें हैं, उसके खिलाफ कोर्ट में न जाएं तथा मणिसाना आयोग की रिपोर्ट को जितनी जल्दी हो सदन में रखने तथा जो कम्प्लीट रिपोर्ट आए उस रिपोर्ट को लागू करने की बात की जाए। मणिसाना रिपोर्ट के संबंध में पिछले दिनों, मेरे ख्याल से एकाध हफ्ते पहले लेबर मंत्री जी जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ-साफ कहा कि कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। सबसे दिलचस्प बात यही है कि कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। पहले जब इस बोर्ड का गठन हुआ था तो दो साल का समय दिया गया था कि दो साल के अंदर आप अपनी रिकमेंडेशन्स दीजिए। अब जब उसने टेंटेटिव प्रपोजल

दिया है तो आई0 एन0 एस0 कोर्ट में चजी गई और उसके बाद फाइनल प्रपोजल देने के लिए कोई टाइम मिलिट नहीं है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले बोर्ड को एक टाइम लिमिट दिया जाएं । एक निर्धारित समय के अंदर सारी रिकमेंडेशन्स आनी चाहिए और जिस प्रकार से बछावत आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशें अभी तक लागू नहीं हुई हैं बिलकुल उसके उलटे मणिसाना आयोग की रिपोर्ट की सारी रिफारिशों को लागू करने की दिशा में सरकसार गंभीरतापूर्वक प्रयास करे ।

सभापति महोदय, अखबार मालिकों का तर्क यह होता है कि उनके अखबार का राजस्व घट रहा है नरेंद्र मोहन जी हैं, आदरणीय बिरला ली हैं, महेश्वरी जी भी बैठी हैं, मेरे एक दोस्त विजय दर्डा जी भी हैं ....(**व्यवधान**)....

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : मेरा नाम लिया गया है । अगर आप अनुमति देंगे तो मैं स्पष्टीकरण देने की कोशिश करूंगा ।

श्री सभापति : यह सवाल-जवाब नहीं है ।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : एसोसिएट करने की पूरी अनुमति है ।

श्री संजय निरुपम : अगर इस मुद्दे पर नरेंद्र मोहन जी और सारे लोग एसोसिएट करें तो मुझ लगता है कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा ।

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल) : एसोसिएट करेंगे ।

श्री नरेन्द्र मोहन : सभापति महोदय, मैं करने को तैयार हूं ।

श्री सभापति : यहां बहस नहीं हो रही है ।

श्री संजय निरुपम : सभापति महोदय, अखबारों के मालिकों की तरफ से एसोसिएट करने की जो बात हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि आई0 एन0 एस जिन मामलों को कोर्ट में ले गए हैं वे उसे वापस ले लें, मुकदमा वापस ले लें । एसोसिएशन ऐसे ही हो जाएगा । मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग बीस-पच्चीस वर्षों से अखबारों के जितने प्रतिष्ठान हैं उनके राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है । उनकी कमाई लगातार बढ़ रही है । टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐड रिवेन्यू पिछले साल 400 करोड़ रहा है । यह मैंआपको सिर्फ मुंबई की बात बता रहा हूं । मेरे पास बेनेट कोलमेन कंपनी की पूरी इंफोर्मेशन है । 1978 से लेकर अब तक इसका पूरा राजस्व 392 प्रतिशत बढ़ा है, इंक्रिज हुआ है । टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का मलयालम मनोरमा का राजस्व 570 प्रतिशत बढ़ा है । आंध्र प्रिंटर

विजयवाड़ा में एक छोटा सा ग्रुप है, प्रकाशन घर है उसका राजस्व 719 प्रतिशत बढ़ा है। अखबारों के राजस्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिरला जी यहां बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि हिंदुस्तान टाइम्स के एडीशन पूरे नॉर्थ में, बड़े-बड़े शहरों में शुरू होने जा रहे हैं। भोपाल में, लखनऊ में, पटना में हर जगह उन्होंने अपने एडीशन शुरू कर दिये हैं। मैं इस पर कोई एतराज नहीं कर रहा हूं। अखबारों के ज्यादा से ज्यादा एडीशन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा संस्करण आएंगे तो निश्चित तौर पर रोजगार के नेय साधन भी होंगे, एम्प्लोएमेंट के नये एवेन्यज तैयार होंगे। इस देश में पत्रकारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा तथा पत्रकारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलना भी चाहिए लेकिन साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि जहां पत्रकारों से आप उम्मीद करते हैं कि वे पूरी ईमानदारी और पूरी फेयरनेस से काम करें, इस देश की समस्याओं पर रिपोर्टिंग करें, देश की समस्याओं पर अपना समाधान पेश करें और पूरी गंभीरता तथा ईमानदारी से काम करें तो निश्चित तौर से इस देश के वेतनमान का जो स्टैण्डर्ड है, पैमाना है, उस पैमान पर इस देश के पत्रकारों को वेतन मिलना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे फिफ्थ पे कमीशन लागू किया गया था। फिफ्थ पे कमीशन की पूरी रिकमेंडेशन्स केअंतर्गत देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अफसर हैं, सबका वेतन बढ़ा और बहुत अच्छे ढंग से बढ़ा। मैं उनसे कोई द्वेष नहीं रख रहा हूं। वेतन बढ़ना चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से वेतन बढ़ना चाहिए लेकिन पत्रकारों का वेतन आज तक ढंग से नहीं बढ़ा है। यदि बछावत कमीशन की रिकमेंडेशन्स पूरी तरह से लागू हो जातीं, चूंकि हमारा अखबार तीसरे, चौथे, दर्जे का अखबार है, यदि एक मिनिमम रिकमेंडेशन आप लोगों ने पहले कर दी होती तो मुझे भी फायदा मिल जाता। लेकिन बहुत सारे अखबारों ने आज तक रिकमेंडेशन्स लागू नहीं की हैं। पिछले दिनों माननीय मंत्री ने कहा कि यह राज्य सरकारों का प्रश्न है। राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में वहां के अखबारों के मालिकों पर दबाव डालकर रिकमेंडेशन्स लागू करवाएं। मुझे लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोर्ड अपोइंट किया है, बोर्ड की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट होती है तो यह जिम्मेदारी को पूर्णतया लागू करने की दिशा के प्रकाशन मालिकों को निर्देश दें। और जो अखबार प्रकाशन समूह इन सिफारिशों को पूर्णतया लागू नहीं करते हैं, जिन अखबारों के मालिक इसको लागू नहीं करते हैं, उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाए और उनको सजा दी जानी चाहिए, उन पर पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए ताकि पत्रकारों के साथ अन्याय न हो और पत्रकारों को जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम सुविधायें चाहिए, जो न्यूनतम वेतन-मान चाहिए वह उन्हें मिल सकें। धन्यवाद।

श्रीमती जयप्रदा नाहटा (आन्ध्र प्रदेश) : धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय,

किसी भी देश के प्रजातंत्र में पत्रकारिता एक अहम भूमिका निभाती है । यह सरकार और लोगों के बीच में कोआर्डिनेशनल का काम करती है । बिना निष्पक्ष पत्रकारिता के कोई प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है । जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं वही लोग आज न्याय सफल नहीं हो सकता है । जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं वही लोग आज न्याय के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं । सर, जर्नलिस्ट्स के लिए नए वेतन-मान निर्धारित करने के लिए 1994 में वेज बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसकी कई बैठकें हुई । इसके ऊपर धन भी खर्च हुआ । लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी उसकी रिपोर्ट लागू नहीं हुई । सर, यह बड़े ताज्जुब की बात है कि 6 साल तक भी वेज बोर्ड की रिपोर्ट लागू नहीं की गई । सरकारी कर्मचारियों के लिए 1985 में फोर्थ पे कमीशन बना और, 1996 में फिफ्थ पे कमीशन का गठन किया गया । सर, जर्नलिस्ट के लिए 1987 में वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू की गई थी । पूरा सदन और हम जानते हैं कि 1980 के बाद कीमतों में जिस तरह से बढ़ोत्तरी हुई, उसके हिसाब से जर्नलिस्ट्स के जो वेतन-मान बढ़ने चाहिए थे वह नहीं बढ़ । सर, मैं सदन से यह गुजारिश करूंगी कि जर्नलिस्ट्स के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वह न होने दे । मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन रिपोर्ट अभी तक नही मिली है । तो इसको रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द इनको न्याय मिलना चाहिए ताकि जो इनके साथ अन्याय हो रहा है वह न हो । मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार उनको न्याय दिलाए ।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Sir, besides the non-implementation of the Wage Board Award, the newspaper owners are employing journalists on contract basis and their wages are very low compared to the work which the owners extract from the journalists. Many a time when the journalists raise their "voice against the owners, they are victimised in a. very cruel manner and no justice is being done to them. Some of the newspapers, which are just like yellow journalism and blackmailing in nature, spread defamatory news against institutions and private persons. When their rights are infringed those parties approach the Press Council of India. Under the Press Council of India Act three types of punishments are there, namely, censure, warning and admonition. Except these three types of punishments, there is no other punishment contemplated under that Act. The Press Council of India has recommended the incorporation of a provision, namely, fine or punishment. Those amendments have been passed by the Press Council of India and they have been sent to the Government. Those amendments are pending with the Government. The Government has not taken any initiative in implementing those amendments. If these amendments are implemented by the Central

Government, I think most of the problems of the journalists will be solved and these journalists, who are exploited and victimised, can be saved by the enactment of such laws by the Government. To save these journalists the Central Government should act strictry and do justice to them.

श्री गया सिंह (बिहार) : सभापति महोदय, आज अखबार जगत की समस्याओं के बारे में जो चर्चा माननीय सदस्यों ने की है, मैं उनके साथ हूं । हमारे निरुपम जी ने अच्छी बात सदन में रखी है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत होते हुए, समर्थन करते हुए, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि अखबार जगत के जो बड़े-बड़े अखबार हैं, जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई से निकल रहे हैं, उन अखबारों में जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी हस्ती तो थोड़ी अच्छी है लेकिन जो जिलों में या रीजनल अखबार हैं, जो छोटे अखबारों के लोग हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है । आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे पत्रकारों को महीने में अपने परिवार को चलाने के लिए एक तरह भिखमंगी करनी पड़ती है । लोगों से चंदा मांग कर के अपना गुज़ारा करते हैं । जितने भी वेज बोर्ड आज तक बने हैं, उनकी सिफारिशों को लागू करने में मालिकों ने बहुत चालाकी से काम लिया है । वह परमानेंट वर्कर रखते ही नहीं हैं । उन्होंने न्यूज़ एजेंसियों के नाम से अलग अलग एजेंसियां बना रखी हैं और ऐसा ढंग अपना लिया है कि वेज बोर्ड की सिफारिशें सब के लिए लागू नहीं की हैं । राज्य सरकारें कुछ नहीं करती हैं, बड़े अखबार वाले भी कुछ नहीं करते हैं । वास्तव में 200 आदमी काम कर रहे हैं लेकिन उनके रजिस्टर में 50 आदमी काम कर रहे हैं । बाकी कमीशन बेसेज़ पर रख लेते हैं और सिफारिशें लागू नहीं करते हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि यह देशकी आजादी की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार पत्रकारों की सोशल सिक्युरिटी और दूसरी सुविधाओं की गारंटी करे । आज कल डेवियेशन हो रहा है और उसके अन्दर दूसरी तरह की विकृतियां पैदा हो रही हैं । हमारे पत्रकार स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकते हैं । अगर हम उनके सम्मान की रक्षा नहीं करेंगे, उनको सोशल सिक्युरिटी की रक्षा की गारंटी नहीं करेंगे, जो उनकी जरूरत है उसकी मिनिमम गारंटी नहीं करेंगे तो पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकेंगे । बहुत सारे अखबारों में जो काम करने वाले लोग हैं उनको कोई मेडिकल सुविधा नहीं है । उनको यह सुविधा राज्य सरकार से भी नहीं मिलती है और न अखबार वाले देते हैं, वह भिखमंगी कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं, उनका समर्थन करते हुए गुज़ारिश करना चाहता हूं कि सरकार इस पर अलग से विचार कर के इस हाऊस में कुछ घोषणा करे । एक सुझाव मैं देना चाहता हूं । बहुत से लोगों को प्रोविडेंट फंड की सुविध नहीं है । क्या एक ट्रस्ट हर सटेट में पत्रकारों के लिए बन सकता है ? सेंट्रल गवन्नमेंट और स्टेट गवन्नमेंट से मेक्सिमम एडवरटाइज़मेंट कुछ अखबार वाले लेते हैं । मेरा सुझाव यह है कि उस

पर लेवी लगा दी जाए और एक फंड बना दिया जाए । उस फंड से छोटे अखबारों में काम करने वाले लोगों को वेज बोर्ड के अलावा पेंशन या दूसरी सोशल सिक्युरिटी के लिए सहायता दी जाए । मैं समझता हूं कि यह ट्रस्ट बनाने का एक अच्छा सुझाव है, उस पर सरकार विचार करे । करोड़ों रुपया एडवरटाइज़मेंट से अखबार वालों को सरकार की ओर भी मिलता है । एक सुझाव न्यूज़ प्रिंट के बारे में उन्होंने भी दिया । छोटे अखबार वाले न्यूज़ प्रिंट का कोटा बेच देते हैं । वह यह दिखाते हैं कि हमारी अखबार की 40000 प्रतियां निकलती हैं जबकि वास्तव में 400 निकलती हैं । अपने इंपलाइज़ को कहते हैं कि तुम घूमो और अपने न्यूज़ प्रिंट के कोटे को बेचो । इस पर कंट्रोल किया जाए तो इससे इंपलाइज़ का सोशल सिक्युरिटी मिलेगी, वेजेज़ की गांरटी होगी और अखबार भी निकलेगा । हम समझते हैं कि इससे देश में एक नया वातावरण पैदा हो सकता है । इन शब्दों के साथ मैं इस स्पेशल मेंशन के साथ अपने को संबद्ध करता हूं ।

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : सभापति जी, मैं जो विशेष उल्लेख श्री पुंज जी ने उठाया उसके समर्थन में बोलते हुए कहना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी वेतन आयोग आए हैं, किसी को पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है । मैं एक बछावत वेतन बोर्ड का थोड़ा सा उदाहरण पेश करता हूं कि कंट्री में 1715 न्यूजपेपर इस्टेब्लिशमेंट हैं इनमें से सिर्फ 643 ने इसको लागू किया है । इसमें एक वेस्ट बंगाल के भाइयों के लिए है जहां सबसे ज्यादा ट्रेड यूनियन मूवतेंअ स्ट्रांग माना जाता है कि वहां 420 न्यूजपेपर इस्टेब्लिशमेंट हैं और सिर्फ 13 ने लागू किया है ...**(व्यवधान)**... सिर्फ 13 ने लागू किया है । यह लगातार देखा गया है कि चाहे वह पालेकर अवार्ड हो, चाहे बछावत आयोग हो चाहे मणिसाना आयोग हो इनकी जो टेंटेटिव सिफारिशें हैं इनको लागू करने में हमेशा कोताही बरती जाती है और इनको पूरी तरह से लागू किए जाने के प्रति कोई सिंसियर नहीं रहता है । एक और सबसे बड़ी समस्या हो गयी है टी वी जर्नलिस्ट ओर प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट की । मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है । इसलिए मैं कह सकता हूं कि टेलीविजन जर्नलिस्अ की तरख्वाहें तो बिल्कुल वहां ऊपर जा रही हैं, बिल्कुल आसमान छू रहीं हैं और प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट बेचारे नीचे रह जा रहे हैं । दोनों साथ साथ रहते हैं । एक ही दुनिया में घूमते हैं । इतना कंप्लेक्स पैदा हो गया हो दोनों के बीच में, इतनी आपस में स्थिति हो गयी है कि एक तरफ तो इनको इतनी तनख्वाहें मिल रही हैं और दूसरी तरफ उनको बहुत कम तनख्वाहें मिलती हैं । कुछ पैरिटी दोनों के बीच में होनी चाहिए । एक तो इस तरफ सरकार को सोचना चाहिए । दूसरी इंपार्टेंट बात यह है कि हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि जो प्राइस वार चल रहा है न्यूजपेपर्स का, उसकी वजह से भी मझोले अखबार काफी ज्यादा तादाद में मर रहे हैं । हो क्या रहा है कि डेढ़

रुपए का अखबार 50 पेज का दे दिया जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। उसकी वजह से जो छोटे अखबार है उनको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। मझोले अखबारों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उनसे जुड़े जर्नलिस्ट भी परेशान हैं। तो इस प्राइस वार में एक मिनिमम प्राइसे फिक्स होनी चाहिए न्यूजपेपर्स की, जो न्यूज प्रिंट के प्राइस से लिंक होनी चाहिए कि न्यूज प्रिंट का जितना न्यूंज प्रिंट आप इस्तेमाल करते हैं उसका क्या मिनिमम प्राइस है उसी हिसाब से न्यूज पेपर का प्राइस भी फिक्स होना चाहिए।

तीसरी एक नयी चीज सभापति महोदय शुरू हुई – कंट्रेक्ट सिस्टम। कंट्रेक्ट पर आप जर्नलिस्ट को रख लेते हैं, साल भर के लिए छः महीने के लिए दो साल के लिए। यह जर्नलिस्ट और नान वर्किंग जर्नलिस्ट दोनों की बात है। उसकी वजह से उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक अनिश्चितता का माहौल रहता है। जिस तरह से उसका जो डिवोशन रहना चाहिए वह नहीं हो पाता हैं।मणिसाना और बछावत रिपोर्ट में था कि न्यूजपेपर इस्टेब्लिशमेंट में जो कुछ नहीं उनका पूरा रेवेन्यू होता है या टोटल टर्न ओवर होता है उसका सिर्फ तीन प्रतिशत जर्नलिस्ट्स को सेलरी के रूप में मिलता है। यह मेरे ख्याल से बहुत कम है। इसको भी मिनिमम हमें फिक्स करना चाहिए कि इतना परसेंट वेतन के रूप में मिलना चाहिए। यहां एक बात हम और भी रखेंगे क्योंकि जब तक मैनेजमेंट और इंप्लायीज दोनों के हित की बात नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अगर हम सिर्फ इंप्लायीज की बात करेंगे तो भी कुछ नहीं बनने वाला है। मैनेजमेंट की भी अपनी समस्याएं हैं। आज इलेक्ट्रानिक मीडिया ने सारा बनने वाला है। मैनेजमेंट की भी अपनी समस्याएं हैं। आज इलेक्ट्रानिक मीडिया ने सारा एडवर्टाइजमेंट खींच लिया है। किसी भी शहर में कहीं भी आप देखिए, एक या दो अखबार ही सरवाइव कर पा रहे हैं, बाकी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उनकी समस्याओं को भी ध्यान में रखना जाना चाहिए इसमें कोई शक नहीं हैं। एक चीज और है कि वकिंग जर्नलिस्ट और नानवर्किंग जर्नलिस्ट इनके बीच में डिफरेंस करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी वर्किंग जर्नलिस्ट होनी चाहिए। इसके बाद नानवर्किंग जर्नलिस्ट होनी चाहिए। ये ही सारी बातें मैं रखना चाहता हूं। धन्यवाद।

SHRI M.P.A SAMAD SAMADANI (Kerala): Mr. Chairman, Sir, instead of going into the details of the issue which has already been raised here with all seriousness, I am here only to share the sentiments expressed by my hon. colleagues. The contribution of the Press and the Pressmen to the successful functioning of democracy is to be hailed and appreciated. It need not be emphasized. Especially in the last few years, in guarding the democratic values of our great nation, the contribution of the Press is too high. After the Executive, the Legislature and the Judiciary, the Press is the Fourth Estate that guards our democracy. Earlier, poets and great cultural

personalities were considered to be the sentinels of civilization. I believe, in the present age, the Pressmen along with the other cultural personalities are the sentinels who guard the values of our great democratic system. We should not go to such a stage in where we compel the Pressmen to go on strike again Yesterday, there was a warning strike. That should be enough. Instead of allowing them to go on strike for more number of days, it will be better and appropriate for the Government and for the concerned authorities to bring forward certain proposals by which the rights of the pressmen can be guaranteed. If they are on strike for more days, then, the country will go without newspapers, and a country without newspapers will be in total darkness as that of a midnight. So, my submission, my prayer, to the Government and to the concerned authorities, through you, Sir, is that without delay the pressmen's rights should be guaranteed and urgent steps should be taken in that regard. Thank you, Sir.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention and I fully share the views expressed by my colleagues. So far as the Wage Board is concerned, when the Wage Board was accepted by the Government, a Tripartite Agreement was signed; then, it became an Act, a law. Now, every State Government and the Central Government must enforce that Act. But, unfortunately, it is not being enforced. When the matter was raised earlier, the Central Government took the position that it was the duty of the State Government to enforce that agreement. But, Sir, it is an Act. It is a statute. So, it is the State Government as well as the Central Government who must enforce it. I appeal to the Government to enforce it, and see to it that the recommendations of the Wage Board are implemented. Kindly don't neglect the people of the Fourth Estate.

† **श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश) :** सभापति महोदय, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं, इसलिए कि यह एक अहम मुद्दा है और सभी साथियों ने इसकी अहमियत और इसकी जरूरत पर जोर दिया है, लेकिन बुनियादी चीज़ जीवन राय जी ने कही है । इसको लागू करने की जिम्मेदारी किस पर होती है ? इसको लागू करने की जिम्मेदारी सरकार पर है । अमली जिन्दगी में आम तौर पर यह देखा गया है कि तीन तरह के अखबार हैं,जैंसे अभी यह बात आई भी है और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का जिक्र भी यहां हुआ है । इससे तो शायद बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि हम किसी अखबार की कीमत को घटा या बूढ़ा दें

† Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the debate.

क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अगर हम अपने देसी चैनल देखते हैं, मेट्रो या नेशनल चैनल देखते हैं तो उनमें वह एट्रैक्शन नहीं है, जितना कि इंटरनेशनल मीडियाज़ में है । सारे लोग अपने ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई न कोई तरीका अख्तियार करते हैं । बड़े अखबारों ने भी यही तरीका अपना रखा है जैसे कि वे मैगज़ींस आदि निकालते हैं । ज्यादा रद्दी अखबारों में देते हैं ताकि उनका अखबार खरीदा जाए और महीने बाद जब रद्दी बेची जाए तो उस अखबार की कीमत उस रद्दी में से निकल आए । अखबार बेचने का यह भी एक तरीका है । उसी तरह हमारे इंटरलेशनल मीडियाज़ में भी बहुत सारी रद्दी होती है यानी बहुत से ऐसे रद्दी प्रोग्राम होते हैं, जिन्हें कि नहीं देखना चाहिए, लेकिन देखा जाता है । उससे उनकी शोहरत बढ़ती है और वे बहुत चलतें हैं, वे बहुत पैसा कमाते हैं । इसी तरह से अखबारात का भी है, इंटरनेशनल मीडिया का भी है । तो ग्राहकों का अपनी तरफ मुतवज्जह करने का एक तरीका है । लेकिन अगर किसी चीज़ का लागू करना है, तो उसके लिए तंत्र तो हमारे पास सरकार ही है । सभापति जी,मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी था और लगभग सारे ही अखबारों पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पालेकर अवार्ड को लागू किया गया था । इसलिए भी कि जाती तौर पर मेरी इसमें दिलचस्पी थी कि यह लागू होना चाहिए । जब मंत्री की दिलचस्पी थी, सरकार की दिलचस्पी थी तो पालेकर अवार्ड लागू हुआ था । इसी तरह आज भी इस बाता को, बिल्कुल उसूल के तौर पर मान लेना चाहिए । मैं जीवन राय जी की बात को बल देते हुए कहता हूं कि वेज बोर्ड की सिफारिशात को लागू न करना सरकार की कमजोरी है । अगर अब तक सरकार उसे लागू नहीं कर सकी तो उसे तुरंत लागू करना चाहिए । इस अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मैं उन अखबारात का यहां जिक्र नहीं करूंगा जिन्हें कि रोज़मर्रा की जिन्दगी में हम देखते हैं, जो मझले अखबार हैं, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ़ इंडिया की बात मैं नहीं करता, वह छोटे अखबार जो कागज़ लेते है या सिर्फ अपनी 10 कापियां छपवा कर जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक या किसी के यहां भेज कर कागज़ पर उसकी एंट्री करवा कर किसी खास काम से सप्लायी आफिसर के पास चले जाते हैं, किसी दवाई के लिए अस्पताल चले जाते हैं, मैं उन अखबारों की बात नहीं करता । उनका भी शायद जरिया-ए-मॉश वह अखबार हो सकता है और उनकी जरूरत-ए-जिन्दगी के लिए वह अखबार काफी हो सकता है । लेकिन जो दरम्याने दर्जे के अखबार हैं, जो न तो अपने आपको छोटा कह सकते हैं और न बहुत बड़े हैं, उन अखबारात का नाम किए बगैर, उसके जिम्मेदारान हमारे दायें-बायें भी मौजूद हैं, उन अखबारात के रिपोर्टर्ज़ की हालत यह है कि 10-10, 15-15 साल उन्हें नौकरी करते हुए हो गए हैं, लेकिन उन रिपोर्टर्ज़ को उन अखबारों का रिपोर्टर नहीं माना जाता है । वो जैसे ठेके पर काम

करते हैं और जितनी खबर भेजते हैं, उतना पैसा हिसाब लगाकर महीने पर उन्हें मिल जाता है। वह भी चैक के जरिए नहीं दिया जाता। उन की नौकरी या सर्विस का कोई रिकॉग्नीशन नहीं है। यही वजह है कि वे आज इस अखबार में तो कल उस अखबार में, आज अखबार में तो कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मे काम करते रहते हैं और इस तरह बिल्कुल फुटबॉल की मानिन्द उन की जिंदगी गुजरती है। महोदय, आज उन की हालत बड़ी दयनीय है, बड़ी अपमानजनक है।

महोदय, हम सिर्फ उन अखबारों को नहीं देख सकते जो कि हिंदुस्तान के चंद नामवर अखबार हैं बल्कि वे अखबार जो इंसान की जिंदगी और उस के दिल से जुड़े हुए हैं, जिन्हें होटल में बैठकर आदमी पढ़ता हैं, जिन्हें वह ढाबे पर बैठकर पढ़ता है, जिन्हें कोई ट्रक का ड्राइवर अपने साथ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक ले जाकर पढ़ता है, ऐसे अखबारात जो 15 दिन में निकलते हैं, ऐसे अखबारात जो 8 दिन में निकलते हैं और जिन्हें 8 दिन तक बराबर पढ़ा जाता है, होटल की टेबल पर रखकर उस अखबार को पुराना नहीं होने दिया जाता – उन अखबारात से जुड़े हुए लोग जर्जर जिंदगी का शिकार है। महोदय, उन की जिंदगी के लिए सरकार की तरफ से कोई कमिटमेंट होना चाहिए। ऐसे अखबारात जो जन-जन से जुड़े हुए हैं, उन के प्रति भी सरकार का कमिटमेंट होना चाहिए। हम जुबान की बुनियाद पर कह सकते हैं कि आज भी बड़े अंग्रेजी के अखबारात अवाम के द्वारा नहीं पढ़े जाते। लगभग सौ करोड़ सौ करोड़ के इस देश में अगर हम अंग्रेजी अखबार के बंटवारे को देखें तो वह बहुत नाकाफी हैं। हमारे रीजनल अखबारात, हमारे प्रादेशिक अखबारात जो अपनी जुबानों में छपते हैं, प्रदेश की जुबानों में छपते हैं, उनकी हालत भी आज बहुत दयनीय है और उन में काम करने वालों की हालत इंतहाई दयनीय है।

महोदय, बड़े अखबारात को हम उसूल बनाकर और उन्हें मानक मानकर कोई फैसला न करें बल्कि वेज बोर्ड को लागू करने के लिए हम मंझले और छोटे अखबाररात को मद्दे नजर रखते हुए फैसला करें और सरकार इसे अपनी जिम्मेदारी माने जिसे मानने में वह अभी तक नाकाम रही है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I rise to associate myself fully with the sentiments expressed by all sections of the House. I think it is more or less a unanimous sentiment. Sir, the only issue that I would like to bring before this House is, there is a sense of *deja vu.* Every session when we meet, we bring this up at least once. Ever since the Bachawat Award came, as my colleague who spoke before me just now

1.00 P.M.

said, we are at a loss to understand whether the responsibility is to be fixed because raising the issue in Parliament has very little consequence unless the Government — whichever Government is reponsibile at the Centre; whether it is this Government or that Government — takes the responsibility to see that it is implemented. Sir I also think that it is very unfortunate that we stand here, today again raising this issue. We speak in international fora about the proud legacy of our democracy and about 50 years of Indian democratic experience. India stands as a democracy when other democracies around us have all given in to other forms of majoritarian communalism or any other form of dictatorship and Government, because we have a free and fair Press. We have to think of the people behind the free and fair Press, especially when we think today, Sir, about the modern pressures on the free and fair Press, the pressures of commerce that are brought to bear on the free and fair Press. When we look at the newspapers - I mean no disrespect to any particular newspaper or any particular person present here, — it seems to me that the object of the managements of those newspapers is to deliver all the readers to the advertisers. In the face of that kind of pressure of commerce, in the face of commerce from multinationals, in the face of problems from vested interests, we should be proud of the fact that we have a free and fair Press, that we have a fearless band of journalists who are dedicated to bringing the truth out in this democracy, the fact that knowledge is the key to democracy, that without knowledge, there will be no power, and it will be a completely meaningless democracy without any kind of knowledge. This is a very unfortunate fact, Sir, that we have to stand here in Parliament, time and again, to ask that justice be done to this band of people who are as much responsible for the preservation of our democracy as any freedom fighter, as any political person, as any individual here, who is committed to preserving India's unity and integrity. Therefore, Sir, I would like to conclude by calling upon the Minister who is present over here, the Minister of Information who is present over here, to rise and give a commitment. We are not apportioning blame. It is not this Government or that Government. I remember even in previous Governments, in this House we have raised the question of Bachawat Award.

But let them now have the courage to get up and tell the house a specific time-frame within which the Bachawat Award and the other awards

following that Award will be implemented so that justice is done to the journalists who have been waiting for a long time for this.

SHRI P. N. SIVA (Tamil Nadu): Sir, I fully associate myself with the sentiments, the feelings and the observations made in this House. It is very sad to note that in a democratic country the people belonging to the Fourth Estate are forced to come out to the streets for the redressal of their demands. Everybody must realise and appreciate the importance of the services rendered by journalists in this country or, for that matter, in any other democratic country, and especially those who are benefited by their services must do their best to get them out of the trouble that they are in now. Now, it goes to the credit of our party, the DMK which is running the Government in the State of Tamil Nadu, that it has implemented some schemes for the welfare of the journalists. For example, we are paying a pension of Rs. 1500 per month to the journalists. To the family of the journalists who die in harness, the Government of Tamil Nadu gives Rs. 50,000. I would like to say, as the other hon. Members of this House have also been mentioning, that the Government should implement the Bachawat Award and do the needful to help the journalists who have been forced to come out to the streets for redressal of their grievances. We, in Tamil Nadu, also provide accommodation to the journalists and we appreciate the services rendered by them. Especially, in a democratic country like ours, it is the Government's duty to attend to and redress the grievances of the journalists immediately.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Mr. Chairman, Sir, I would like to assure the House that the Government is equally concerned about the issues regarding which the hon. Members have expressed their views. I assure the House that the views expressed by the hon. Members will be conveyed to the concerned Minister. ... *(Interruptions)...*

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN Sir, we have great respect for Shri O. Rajagopal. ... *(Interruptions)...*But the Minister of Information and Broadcasting is sitting here... *(Interruptions)...* This is no reflection on Shri O. Rajagopal but if the Minister of Information and Broadcasting...

SHRI MD. SALIM: He is one of our own Members. Let him speak.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF DISINVESTMENT (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Chairman, Sir, the matter relating to the constitution and implementation of the wage-board for working and non-working journalists comes directly under the Ministry of Labour. The Ministry of Labour is seized of this issue. The representatives of the media organisations, the journalist employees had met along with the Minister of Labour and myself the hon. Prime Minister also two days ago and brought these facts to his notice. I have got the sense of the House and since the Ministry of Labour is directly dealing with it, I assure the House that I shall convey it to the hon. Labour Minister for his appropriate action. ...*(Interruptions)*...

MESSAGES FROM LOK SABHA

I. The Sugarcane Control (Additional Powers) Repeal Bill, 2000

II. The Food Corporation (Amendment) Bill, 2000

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

I. "In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 8th May, 2000, agreed without any amendment to the Sugarcane Control (Additional Powers) Repeal Bill, 2000, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 17th April, 2000";

II. "In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 8th May; 2000, agreed without any amendment to the Food Corporations (Amendment) Bill, 2000, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 17th April, 2000".